

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 03/05/2023


क्रमांक 524 / 309 / 2023 / स्था. / चारः राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को कॉलम नं. 2 से कॉलम नं. 3 में दर्शित स्थल पर स्थानांतरित करते हुए अस्थायी रूप से पदस्थ करता है:-

स. क.	अधिकारी का नाम व पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4
1.	श्री रामगोपाल जायसवाल, उप संचालक (वित्त) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर	प्रशासनिक
2.	श्री भीष्म सोनी, लेखाधिकारी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर	सहायक संचालक (वित्त), कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर	प्रशासनिक

2. सरल क्रमांक 2 के पदस्थापना के फलस्वरूप श्री पोषण लाल वर्मा, लेखाधिकारी, संचालनालय कर्मचारी बीमा सेवाएं एवं अतिरिक्त प्रभार सहायक संचालक (वित्त), कार्यालय श्रमायुक्त, नवा रायपुर सहायक संचालक (वित्त), कार्यालय श्रमायुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त है।)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(शांता खरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 525 / 309 / 2023 / स्था. / चार

नवा रायपुर, दिनांक 03/05/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग/श्रम विभाग/जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. संभागायुक्त, रायपुर

6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली/कार्यालय श्रमायुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर
8. कलेक्टर, रायपुर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर
10. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर
11. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय इन्द्राती भवन, नवा रायपुर
12. संबंधित अधिकारी
13. आदेश फोल्डर हेतु

-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

Ska
3/5/2021

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग